(c) The difference between the landed and the procurement prices on one hand and the sale price realised thereon on the other hand is accounted for as subsidy i.e., loss in Trading borne by the Government in the distribution of foodgrains.

Fishing Harbours

491. Shri P. Viswambharan: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the number of fishing harbours included in the Third Five Year Plan and fully financed by the Central Government and the number of those proposed to be included in Fourth Five Year Plan and fully financed by the Central Government;

(b) whether Vizhinjam Fishing Harbour in Kerala is one of the projects financed by the Centre; and

(c) the amount allotted for the Vizhinjam Fishing Harbour Project for the year 1966-67 and the amount so far spent?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). Sixteen fishing harbours were included in the Third Five Year Plan and they were financed according to the prescribed pattern of assistance which provided for fifty per cent of the expenditure being covered by a grant and the remaining fifty per cent by loan. Construction of Vizhinjam harbour was commenced in 1963 and it has accordingly been financed under this pattern of assistance. In the Fourth Five Year Plan, it is proposed to continue work on the harbour schemes taken up during the Third Plan period and also take up about twenty-five additional harbours. According to the pattern of assistance proposed to be adopted from 1967-68, the harbours will be fully financed by the Central Government.

(c) No amount has been specifically allotted for the Vizhinjam Fishing harbour for the year 1966-67. A plan outlay of Rs. 66 lakhs was proposed for the year 1966-67 for the scheme "Landing and Berthing Facilities at Minor ports" for Kerala, and the State Government had made budget provision accordingly. The amount spent on this project during 1966-67 upto January, 1967 is Rs. 8.145 lakhs and the amount estimated to be spent by 31st March is Rs. 22 lakhs.

Rice For Kerala

492. Shri P. Viswambharan: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the total stock of rice with Government of Kerala on the day on which President's rule in that State ended; and

(b) the weekly requirement of rice in Kerala for distribution through ration depots?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) The total stocks of rice and paddy in Kerala on 6th March, 1967, were:—

Rice	—	5,622 tonnes
Paddy	—	14,992 tonnes.

(b) About 17,500 tonnes.

यमुना और चम्बल नदियों पर पुल

493. श्री यशवन्त सिंह कुशवाहा :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिण्ड (मध्य प्रदेश) से इटावा (उत्तर प्रदेश) को जाने वाली सड़क पर यमुना और चम्बल नदियों पर पुलों का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ख) इन में से प्रत्येक पुल पर कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है और केन्द्रीय

सरकार तथा राज्य सरकारों का इसमें कितना कितना हिस्सा होगा ; और

(ग) क्या उनकी देखभाल का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का होगा अथवा किसी राज्य सरकार का ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) भिण्ड (मध्य प्रदेश) से इटावा (उत्तर प्रदेश) जाने वाली सड़क के यमुना और चम्बल नदियों के ऊपर के पुलों का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार क्रमश: अप्रैल, 1969 और जनवरी 1969 में पूरा होना है ।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सलग्न है ।

(ग) चूंकि ये पुल राज्य सड़क पर पड़ते हैं, अत इन पुलों की देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है ।

विवरण

चम्बल नदी के ऊपर पुल की लागत 114.20 लाख रुपये और यमुना नदी पर 48.60 लाख रुपये प्राक्कलित की जाती है । इस प्रकार इन पर 162.80 लाख रुपये की लागत आती है । केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच इन दोनों पुलों की लागत का आवंटन इस प्रकार किया गया है —

	चम्बल पुल लाख रुपए	यमुना पुल लाख रुपए
भारत सरकार	38.06	16.20
मध्य प्रदेश सरकार	38.07	—
उत्तर प्रदेश सरकार	38.07	32.40
	114.20	48.60

पंचायती राज योजना

494. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाहा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्य सरकारों ने बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर अपने राज्यों में त्रि-स्तरीय पंचायती राज योजना को क्रियान्वित करने के लिये अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है ; और

(ख) किन राज्यों में उक्त योजना के अनुसार ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला परिषदों के चुनाव अब तक पूरे किये जा चुके हैं और किन राज्यों में ये चुनाव अब तक नहीं हुए हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहब शिन्दे) : (क) पंचायती राज की तीन स्तरीय व्यवस्था अभी बिहार (केवल तीन जिलों को छोड़ कर), मध्य प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, केरल और नागालैण्ड में क्रियान्वित करनी रहती है ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात हरियाणा, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल और बिहार के तीन जिलों में तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए विधिवत् चुनाव हो चुके हैं । आशा है कि राज्य सरकार बिहार के शेष जिलों में लगभग 6,000 पंचायतों जहां अभी चुनाव होने हैं, के लिए चुनाव हो जाने के बाद उच्च स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन करेगी । मध्य प्रदेश में पंचायतें दिसम्बर, 1964—जनवरी, 1965 में गठित की गई थीं ; उच्चस्तरीय संस्थायें अभी स्थापित की जानी हैं । जम्मू तथा काश्मीर और केरल में भी अभी केवल पंचायतें ही हैं; उच्च स्तरीय संस्थाओं के गठन के लिए अभी विधान बनाना है । नागालैण्ड में अभी कोई नियमित पंचायतीराज